



कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-०१ / २०२०-२१

1. विज्ञापन दाता का नाम :- परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि :- दिनांक 25.06.2020 को अपराह्न 4:00 बजे तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि :- दिनांक 27.06.2020 को अपराह्न 1:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 27.06.2020 को अपराह्न में 3:00 बजे
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, जामताड़ा।
7. कार्य का विवरण :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र की मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण नारोडीह 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
2	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पाल्टा 3, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
3	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण चिरुडीह (कुरता), प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
4	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पुरनी घाटी, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
5	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण नुरुगी, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
6	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आँगनबाड़ी केन्द्र दिघारी 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
7	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण डुमरसिंघा, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
8	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण चिरुडीह (दिघारी), प्रखण्ड-नारायणपुर	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
9	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण चिरुडीह मस्जिद टोला (बांकुडीह), प्रखण्ड-नारायणपुर	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
10	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कदमीटाँड़, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
11	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मुंगयामारनी 1, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
12	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मुंगयामारनी 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
13	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण टांगोडीह, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
14	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण तुंबादाहा, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
15	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण राजाभीठा, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
16	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण चिहुटिया 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह

17	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण गोकुला, भण्डारी टोला, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
18	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण केन्दुआ 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
19	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मिरगा 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
20	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पोखरिया 2, प्रखण्ड-नारायणपुर।	7,50,000	15,000	1,250	4 माह
21	एम.एस.डी.पी./पी.एम.जे.भी.के. योजना के तहत कोरीडीह, प्रखण्ड नारायणपुर में एक अदद स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण।	42,00,000	84,000	5,000	9 माह

8. निविदा की शर्तें www.jamtara.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक.....717/आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक.....11/06/2020

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निविदा आमंत्रण सूचना जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित कराई जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
जामताड़ा।

परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

निविदा की नियम एवं शर्तें

(निविदा सं०-01/2020-21)

1. निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग (आर.ई.ओ.) झारखण्ड में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी अथवा समुचित श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु अद्यतन पैन कार्ड, जी.एस.टी. निबंधन, फर्म निबंधन, अद्यतन आयकर, UCAN No. एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जो उपायुक्त द्वारा निर्गत किया गया हो, स्व-हस्ताक्षरित सुस्पष्ट प्रति प्रस्तुत करनी होगी निविदा प्रपत्र एवं निविदा के साथ भी सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। उक्त सभी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्य आवंटन के उपरान्त संवेदक को लेबर लाईसेंस हेतु इस कार्यालय द्वारा फारम-V निर्गत किया जाएगा। तदोपरान्त उस कार्य विशेष हेतु श्रम विभाग द्वारा संवेदक को निर्गत लेबर लाईसेंस कार्य प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
5. सभी वांछित कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के समर्पित करने पर ही संवेदक को परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वैध प्राधिकार पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा के कागजात दिए जायेंगे।
6. लघुखनिज समुनदान नियमावली 1978 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा, साथ व्यय छत लघुखनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा करना होगा, सभी व्यवहृत लघु खनिजों के खनन पदाधिकारी द्वारा समर्पित कार्य एम०एम० फार्म की उपलब्धता पर ही सम्पादित कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
7. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है या धोखाधड़ी का मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
8. उद्धृत परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य भारतीय स्टेट बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से निर्गत (निर्गत तिथि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि के बाद होनी चाहिए) एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जामताड़ा शाखा को भुगतये होगा एवं जिसकी वैधता कम से कम दो माह रहना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र में यथा अंकित राशि के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ, अग्रधन के रूप में छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र का अद्यतन निर्गम अथवा पाँच वर्षीय/तीन वर्षीय समावधि जमा के रूप में, जो झारखण्ड राज्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से निर्गत एफ०डी०/एन०एस०सी० हो तथा परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति (Pledged) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को निर्देश दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर कार्य स्थल जाकर स्थल की स्थिति एवं सामग्रियों की उपलब्धता एवं दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. संवेदक को, सरकार द्वारा स्वीकृत अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित कार्यावधि के अन्दर मजदूरी बढ़ने पर उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य के लिए संवेदक को सभी सामग्रियों एवं उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
13. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में शब्दों एवं अंकों में दर्ज करना होगा। निविदादाता परिमाण विपत्र में 10 प्रतिशत कम तक अपना दर अंकित कर सकते हैं, 10 (दस) प्रतिशत से कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
14. प्रत्येक निविदा के साथ एक Forwarding Letter जिसमें अग्रधन राशि निबंधन सं० आदि की विवरणी के साथ निविदा में डाले गए सभी अन्य कागजातों की विषय सूची (Index) पृष्ठांकित कर जमा करना होगा।

10/10/2020
J.E.

10/10/20

